



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP00648488860415V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

PRIYANSHU SAISWA

CODE-UP 14536404, Lic. No.

7905770186/9335490249/75019-

District Sadar, Prayagraj

Certificate No.	: IN-UP00648488860415V
Certificate Issued Date	: 29-Aug-2023 01:39 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14536404/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	: SUBRN-UPUP1453640496874714774074V
Purchased by	: S N MISHRA MANAGING TRUSTEE NARAYAN CHARITABLE TRU
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: S N MISHRA MANAGING TRUSTEE NARAYAN CHARITABLE TRU
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: S N MISHRA MANAGING TRUSTEE NARAYAN CHARITABLE TRU
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



समक्ष:

सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रारूप-अ

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप हम सत्य नारायण मिश्र अध्यक्ष एवं धर्मेन्द्र कुमार मिश्र सचिव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट, 191के/17, राजरूपपुर, प्रयागराज शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं :-

1. यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा डी0के0डी0एल0 कालेज ऑफ फार्मसी, काजू कौशाम्बी नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.shreebhavnagar.gov.in](http://www.shreebhavnagar.gov.in) or using e-Stamping Method App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App should be reported.
3. The intent of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

2. यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम ग्राम काजू, पोस्ट काजू, तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी में गाटा संख्या 246 रकबा 1.979हे0 अर्थात् 19790 वर्गमीटर (कुल रकबा 1.979हे0) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के ग्राम काजू, पोस्ट काजू, तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी में गाटा संख्या 246 रकबा 1.979हे0 अर्थात् 19790 वर्गमीटर में से 9000 वर्गमीटर (कुल रकबा 0.900हे0) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्था की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 03-07-2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।



10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक बलास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया गया है।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली-भांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



शर्मिष्ठा  
हो सचिव

शर्मिष्ठा  
हो अध्यक्ष

Sharda family and others  
Identified by.....  
has sworn before me on.....  
who has accepted the contents of  
the affidavit to be true

IDENTIFIED BY  
Adv  
ADVOCATE/PRAYAGRAJ

Ram Kumar  
Advocate Prayagraj  
Govt of UP